संख्या-123 /2026/ 1301182 /001-71-3002-002-15-2023-03

प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 17 अप्रैल, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत फेज-3 के 14 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय हेतु मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि का आवंटन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में फेज-3 के 14 मेडिकल कालेजों हेतु लेखाशीर्षक-2210-05-105-03-93-फेज-।।। के अन्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों के संचालन में मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0 29000.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में कुल धनराशि रू0 7249.90 लाख (रू0 बहत्तर करोड़ उन्चास लाख नब्बे हजार मात्र) की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0सं0	मेडिकल कालेज का नाम	बजट प्राविधान	वित्तीय वर्ष 2026-27 में उपलब्ध बजट के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4
1	सुल्तानपुर	2071.42	517.85
2	लखीमपुर खीरी	2071.42	517.85
3	गोण्डा	2071.42	517.85

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4	बुलन्दशहर	2071.42	517.85
5	औरैया	2071.42	517.85
6	चन्दौली	2071.42	517.85
7	कानपुर देहत	2071.42	517.85
8	बिजनौर	2071.42	517.85
9	ललितपुर	2071.42	517.85
10	पीलीभीत	2071.42	517.85
11	सोनभद्र	2071.42	517.85
12	कुशीनगर	2071.42	517.85
13	कौशाम्बी	2071.42	517.85
14	अमेठी	2071.42	517.85
कुल		28999.88	7249.90

नियम व शर्ते/प्रतिबन्ध

1. स्वीकृत धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किन्ही अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. वित्तीय नियमों व प्रतिबंधों के अधीन प्रश्नगत राशि का व्यय निर्धारित मदों में ही किया जाये तथा किसी भी अनियमितता के लिए महाविद्यालय के प्रधानाचार्य उत्तरदायी होंगे।
4. वित्त (आय-व्ययायक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्याक-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना सम्भव नहीं होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6. यदि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवमुक्त की गयी धनराशि अवशेष है, तो उसका समायोजन करने के पश्चात ही चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण किया जाये।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 72,49,90,000 (रुपये बहत्तर करोड़ उनचास लाख नब्बे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 2210051050393 फेज-III के अन्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों का संचालन **मानक मद** 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(चन्द्र शेखर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. समस्त प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय (फेज-3)।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. समस्त वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय (फेज-3)।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चन्द्र शेखर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।